यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) / आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, रामनगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) / आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, रामनगर के माह 04/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं श्री रमेश कुमार केशरी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 19.06.2018 से 27.06.2018 तक श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री संदीप कुमार एवं श्री अनूप कुमार गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षक अधिकारियों द्वारा दिनांक 06.05.2016 से 16.05.2016 तक श्री के.एल.भट्ट वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः रामनगर तहसील**

(ii) (अ) **राजस्व विवरणः**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	3104.51
2016-17	2720.75
2017-18 (जून 2016 तक)	383.98

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य	बचत
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	(+)	(-)
2015-16	8986791	8983791	-	-	3000	-
2016-17	17003406	14692029	-	-	2311377	-
2016-17	16933442	15788340	-	-	1145102	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- डिप्टी- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) / आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, रामनगर** को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) / आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, रामनगर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: माह 10/2016, 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह 03/2017 एवं 08/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2(ब)

प्रस्तर-1 कर एवं अर्थदण्ड का अनारोपण ` 3.91 लाख

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार किसी व्यौहारी द्वारा अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किये गयें प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कर आरोपित किया जायेगा तथा अधिनियम की धारा 58(1)(xiv)के अनुसार मिथ्या लेखा रजिस्टर या दस्तावेज रखा है या प्रस्तुत किया है वो कर की उस धनराशि का कम से कम 50% किन्तु 200% से अनधिक जो तद्द्वारा परिवर्जित हो जाती, अर्थदण्ड का भागी होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0), राज्य कर रामनगर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित व्यौहारियों द्वारा छिपाई गई बिक्री निम्नवत् थीः-

व्यौहारी का नाम, पता, टिन नं0 एवं कर निर्धारण वर्ष	आरम्भिक स्टॉक	खरीद	योग	अन्तिम रहतिया	वास्तविक बिक्री	कर निर्धारण आदेश के अनुसार बिक्री	अन्तर/छिपाई गई बिक्री	अनारोपित कर
सर्वश्री जय बालाजी सरिया सीमेन्ट स्टोर, रामनगर, टिन नं0 05010844916, 2013-14	1045902 (सीमेन्ट)	6360675	7406577	1324988	6081589	5596735	484854	65455 (484854 का 13.5%)
सर्वश्री पुरूषोत्तम सरन टिम्बर, काशीपुर रोड, रामनगर, टिन नं0 05003404337, 2014-15	शून्य (टिम्बर)	4160167	4160167	शून्य	4160167	2859663 (2789939 + 69724)	1300504	1,95,076 (1300504 का 15%)

उपरोक्त विवरण के अनुसार कुल कर `2,60,531 (`65,455 + `1,95,076) व्यापारियो पर आरोपणीय था एवं इस पर 50 प्रतिशत की दर से ` 1,30,266का अर्थदण्ड भी आरोपणीय था।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि नियमानुसार कार्यवाही उपरांत संप्रेक्षा को अवगत कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर- 02 कर के अनारोपण एवं न्यूनारोपण से राजस्व क्षति ` 5.43 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा- 4(2) (ई) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी अनुसूची मे सम्मिलित माल से भिन्न माल के संबंध मे 13.5% की दर से कर आरोपणीय होगा।

पुनः उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की **schedule 1** के क्रम संख्या 82 के **mandua, Chaulai (amaranth) and their product** को दिनांक 23.07.2015 से करमुक्त घोषित किया गया है।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0)-राज्य कर, रामनगर के अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि सर्व श्री संतोष कुमार एंड ब्रदर्स रामनगर टिन संख्या-05003415007 के द्वारा स्वत: कर निर्धारण वर्ष 2013-14 मे कुल क्रय `1,74,41,102 एवं बिक्री `1,73,99,107 की घोषित की गयी थी। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष मे मंडुवा की प्रांतीय बिक्री `12,24,685 एवं केंद्रीय बिक्री `13,98,600 की घोषित की गयी थी एवं इस पर देय कर स्वीकार नहीं किया गया था जबकि उक्त वस्तु पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर देय था, क्योकि उक्त वस्तु को दिनांक 23.07.2015 से कर मुक्त किया गया था। अतः कुल बिक्री `26,23,285 (प्रांतीय बिक्री `12,24,685 एवं केंद्रीय बिक्री `13,98,600 ) पर 13.5 प्रतिशत की दर से `3,54,143 का कर व्यापारी पर आरोपणीय था। उपरोक्त के अलावा पत्रवाली पर सोयाबीन की `63,07,125 की केंद्रीय बिक्री के संबंध मे फार्म-सी नहीं संलग्न था। जिस पर 2 प्रतिशत की दर से व्यापारी द्वारा कर अदा किया गया था। अतः उक्त पर अंतरीय कर 3 प्रतिशत की दर से ` 1,89,214 (` 63,07,125 x 3 प्रतिशत) व्यापारी पर आरोपणीय था। इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय था।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि अनुसूची-1 के क्रमांक 17 के अनुसार मोटे अनाज जिसमे धन चावल एवं गेहूँ सम्मिलित नहीं है लेकिन कुट्टू, रामदाना, सिंघाड़ा चाहे ताजा सूखा या उबला हुआ) कुट्टू आटा और सिंघाड़ा आटा सम्मिलित है। इस प्रकार मडुवा कर मुक्त है। बिन्दु संख्या 2 के संबंध मे नियमानुसार कार्यवाही उपरांत संप्रेक्षा को अवगत कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि यदि मडुआ अनुसूची-1 के क्रमांक मे शामिल होता तो उक्त को पुनः Notification no. 438/2015 (120)/XXVII(8)/2007 दिनांक 23.07.2015 को अनुसूची-1 क्रम संख्या 82 पर अंकित नहीं किया गया होता।

अतः कर के अनारोपण एवं न्यूनारोपण से राजस्व क्षति ` 5,43,357 का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर-03 कर के अनारोपण से राजस्व क्षति ` 2.32 लाख।

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 के धारा 8(4) के अनुसार उपधारा (1) के उपबन्ध प्रावधानों अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम मे किसी बिक्री पर तब तक लागू नही होगे, जब तक कि माल का विक्रय करने वाला व्यौहारी उस रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा, जिसे माल बेचा गया है, विहित प्राधिकारी से अभिप्राप्त विहित प्रारुप मे सम्यक रुप से भरी हुई और हस्ताक्षरित-घोषणा, जिसमे विहित विवरण अन्तर्विष्ट हो, विहित प्राधिकारी को विहित रीति से न दे दें।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0)-राज्य कर, रामनगर के अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि सर्व श्री पाल सिस्टम, रामनगर टिन संख्या-05010519578 के द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2013-14 मे कुल खरीद ` 60,19,556 एवं कुल बिक्री ` 90,06,935 की घोषित की गयी है। संगत वर्ष मे केंद्रीय बिक्री ` 66,85,310 की घोषित की गयी थी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यापारी को 07 फार्म-सी ` 65,60,700 को प्रस्तुत करने पर लाभ व्यापारी को दिया गया था। फार्म-सी संख्या 0205572 धनराशि ` 20,19,600 पर न तो व्यापारी का नाम अंकित था न ही जारी करने वाले व्यापारी द्वारा कोई हस्ताक्षर किया गया था। जिससे यह स्पष्ट नहीं था कि उक्त फार्म-सी विक्रेता व्यापारी के लिए जारी किया गया था। जिसका लाभ व्यापारी को देय नहीं था। इस प्रकार धनराशि ` 20,19,600 पर अंतरीय कर 11.5 प्रतिशत की दर से ` 2,32,254 व्यापारी पर आरोपणीय था।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि नियमानुसार जाँचोपरांत कार्यवाही कर संप्रेक्षा को अवगत कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर-04 अधिक वापस की गयी धनराशि के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति `0.14 लाख

शासन के पत्र संख्या 675/2015/14(120)/XXVII(8)/06 दिनांक 10.08.2015 के अनुसार सिविल संविदाकार के लिए समाधान योजना लागू की गयी थी।

कार्यालय सहायक आयुक्त (क0नि0)-राज्य कर, रामनगर के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि संविदाकार सर्वश्री शंभू दत्त पांडे टिन संख्या-05003417723 कर निर्धारण वर्ष 2016-17 के द्वारा संविदी विभाग से कुल ` 68,18,847 की धनराशि प्राप्त किया जाना घोषित किया गया था। जिस पर संविदी विभाग द्वारा ` 2,25,315 का TDS काटा गया था। उक्त कुल प्राप्त धनराशि को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार करते हुए समाधान धनराशि 2 प्रतिशत की दर से ` 1,36,377 निर्धारित करते हुये ` 88,938 (` 2,25,315-`1,36,377) की वापसी का आदेश किया गया था। Form -8 संख्या 165377 की सकल संविदा की धनराशि ` 22,57,721 के आधार पर समाधान राशि निर्धारित किया गया था। जबकि उक्त form-8 के अनुसार सकल धनराशि ` 29,48,590 की थी जिस पर TDS काटा गया था। अत: ` 6,90,869 `29,48,590 – `22,57,721) की सकल संविदा की धनराशि पर समाधान दर 2 प्रतिशत के अनुसार ` 13,817 संविदाकार पर और आरोपणीय था। इस प्रकार संविदाकार को ` 75,121 (`88,938-`13,817) ही वापसी योग्य था। अतः संविदाकार को `13,817 की अधिक वापसी की गयी थी।

उक्त को इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि नियमानुसार कार्यवाही उपरांत संप्रेक्षा को अवगत कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-01 ब्याज जमा न किया जाना ` 0.31 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 34 (4) में प्रावधान है कि स्वीकृत रूप से देय कर विहित समय के भीतर जमा किया जायेगा । ऐसा करने में विफल होने पर अदत्त धनराशि पर विहित अन्तिम तारीख के बाद ठीक अगली तारीख से ऐसी धनराशि के भुगतान की तारीख तक 1.25 प्रतिशत मासिक अर्थात् 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा । परन्तु उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 41(4) के अनुसार यदि आरोपित किया गया कर विहित समय के भीतर जमा नहीं किया गया है तो 9% वार्षिक की दर से ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा ।

लेखापरीक्षा द्वारा व्यापारी सर्वश्री अंकित गोयल पुत्र श्री अशोक कुमार, रामनगर के कर निर्धारण वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 की पत्रावली की जांच में पाया गया कि कर निर्धारण आदेश दिनांक 15.09.2016 में क्रमशः धनराशि ` 78,320 एवं ` 1,21,286 को 60 दिन के भीतर राजकोष में जमा करने का निर्देश दिया गया है । उक्त धनराशि ` 78,320 एवं ` 1,21,286 दिनांक 11.06.2018 को क्रमशः चालान सं0 37 एवं 36 द्वारा जमा किया गया है किन्तु ब्याज जमा नहीं किया गया है, जबकि R-3 रजिस्टर (बकाया एवं वसूली रजिस्टर) में सम्बन्धित व्यापारी के विरूद्ध मांग समाप्त कर दिया गया है ।

अतः उक्त आरोपित कर की धनराशि ` 1,99,606 (` 78,320 + ` 1,21,286) पर 9% की दर से दिनांक 15.09.2016 से 11.06.2018 तक 20 माह 26 दिन का ब्याज ` 31,221 देय है जिसे लेखापरीक्षा तिथि तक जमा नहीं कराया गया है ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर सम्प्रेक्षा दल को अवगत करा दिया जायेगा ।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
32/2009-10	-	1,2,3	
37/2010-11	-	1	
16/2011-12	-	1,2,3,4	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या भाग-2 अ	प्रस्तर संख्या भाग-2 ब	अनुपालन आख्या
32/2009-10		1,2,3	सम्भागीय कार्यालय को अनुपालन आख्या प्रेषित कर दी गई है
37/2010-11		1,2	सम्भागीय कार्यालय को अनुपालन आख्या प्रेषित कर दी गई है
02/2014-15		STAN-1	पत्रांक CT 02/14-15/601 दिनांक 28.06.2017 के अंतर्गत निक्षेप
04/2017-18		1,2,3,4,5,6	पत्रांक RS/CT 04/2016-17 दिनांक 01.11.2017 के अंतर्गत निक्षेप

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) / आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, रामनगर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
1	श्री निखिलेश कुमार श्रीवास्तव	सहा0आयुक्त	14.07.14 से 11.06.18 तक
2	श्रीमती दमयन्ती जंगयोगी	सहा0आयुक्त	11.06.18 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) / आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, रामनगर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र